



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र

(Application form for Revaluation)

(Board Regulation - 119,148)

हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2012

1. नाम
2. अनुक्रमांक (Roll No)
3. परीक्षा का नाम
4. मुख्य/पूरक.....
5. परीक्षा वर्ष
6. केन्द्र क्रमांक.....
7. केन्द्र का नाम नाम.....
8. संस्था का नाम

मैं निम्नांकित विषयो में पुनर्मूल्यांकन कराना चाहता/चाहती हूँ। मण्डल नियमानुसार आवश्यक शुल्क संलग्न है। कृपया मेरे निम्नांकित कुलविषयों हेतु पुनर्मूल्यांकन कराने का कष्ट करें।

(पुनर्मूल्यांकन हेतु विषय)

स.क्रं.	विषय	प्राप्तांक	
		सैद्धांतिक	प्रायोगिक
01.			
02.			
03.			
04.			
05.			
06.			

पुनर्मूल्यांकन हेतु विषय

कुल विषयो की संख्या.....
प्रति विषय रू. 500/- की दर से 500 X =.....
कुल राशि -.....
बैंक ड्राफ्ट क्रमांक.....
बैंक का नाम

पत्र व्यवहार हेतु पता

नाम

पिता/पालक का नाम

ग्राम/नगर

पो0आ0.....तह0.....

जिलाछ0ग0

पिन कोड नं.-.....

आवेदक का हस्ताक्षर

(कृपया आवश्यक निर्देश हेतु पृष्ठ भाग का अवलोकन करें।)

अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश

कृपया निम्न निर्देशो को पढ़ने एवं भली-भांति समझने के उपरांत ही आवेदन पत्र भरें

1. अभ्यर्थी जिन विषयों के पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं, केवल उन्हीं विषयों के नाम एवं प्राप्तांक संबंधित कालम में अंकित किया जावे।
2. अभ्यर्थी को पुनर्मूल्यांकन के आवेदन पत्र के साथ अंकसूची की छायाप्रति या इंटरनेट की कापी जमा करना अनिवार्य है।
3. पुनर्मूल्यांकन उपरांत अंको में 10 प्रतिशत या उससे अधिक अंको की वृद्धि मान्य किया जावेगा।
4. पुनर्मूल्यांकन के आवेदन पत्र मण्डल मुख्यालय रायपुर, एवं जिला मुख्यालय के समन्वय संस्था में निःशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे।
5. भरे हुए आवेदन पत्र मण्डल मुख्यालय रायपुर एवं जिला मुख्यालय के समन्वय संस्था में निर्धारित शुल्क के साथ जमा कर सकते हैं।
6. पुनर्मूल्यांकन के परिणाम संबंधित छात्र को पंजीकृत डाक द्वारा छात्र के द्वारा निर्दिष्ट निवास के पते पर प्रेषित किया जायेगा।
7. निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
8. अपूर्ण या बिना शुल्क अथवा अपूर्ण जानकारी के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप 10 प्रतिशत या उससे अधिक अंको में परिवर्तन होने पर संशोधित नई अंकसूची संस्था प्राचार्य को भेजी जावेगी।
10. यदि आपको पूरक की पात्रता है तो पूरक का आवेदन पत्र सर्वप्रथम भर कर निर्देशानुसार जमा करें। पूरक का आवेदन पत्र भरने हेतु पुनर्मूल्यांकन के परिणाम का इंतजार न किया जाय।
11. पुनर्मूल्यांकन सभी विषयों में कराया जा सकेगा।
12. पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप पूर्व अंको में 10 प्रतिशत या अधिक अंको में वृद्धि होती है तो केवल, पुनर्मूल्यांकन के लिए ली गई शुल्क रू. प्रति विषय 500/- परीक्षार्थी को वापस की जावेगी।

सचिव
छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

पुनर्गणना (अंको का सत्यापन) हेतु आवेदन पत्र
(Application form for Retotaling (Verification of Marks))
(Board Regulation - 119,148)
हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2012

1. नाम
2. अनुक्रमांक(Roll No)
3. परीक्षा का नाम
4. मुख्य/पूरक.....
5. परीक्षा वर्ष
6. केन्द्र क्रमांक.....
7. केन्द्र का नाम नाम.....
8. संस्था का नाम

मैं निम्नांकित विषयो में पुनर्गणना कराना चाहता/चाहती हूँ। मण्डल नियमानुसार आवश्यक शुल्क संलग्न है। कृपया मेरे निम्नांकित कुलविषयों हेतु पुनर्गणना कराने का कष्ट करें।

(पुनर्गणना हेतु विषय)

स.क्रं.	विषय	प्राप्तांक	
		सैद्धांतिक	प्रायोगिक
01.			
02.			
03.			
04.			
05.			
06.			

पुनर्गणना हेतु विषय

कुल विषयो की संख्या.....
प्रति विषय रू. 100/- की दर से 100 X =.....
कुल राशि -.....
बैंक ड्राफ्ट क्रमांक.....
बैंक का नाम

पत्र व्यवहार हेतु पता

नाम

पिता/पालक का नाम

ग्राम/नगर

पो0आ0.....तह0.....

जिलाछ0ग0

पिन कोड नं.-.....

आवेदक का हस्ताक्षर

(कृपया आवश्यक निर्देश हेतु पृष्ठ भाग का अवलोकन करें।)

अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश

कृपया निम्न निर्देशों को पढ़ने एवं भली-भांति समझने के उपरांत ही आवेदन पत्र भरें

1. अभ्यर्थी जिन विषयों के पुनर्गणना कराना चाहते हैं, केवल उन्हीं विषयों के नाम एवं प्राप्तांक संबंधित कालम में अंकित किया जावे।
2. अभ्यर्थी को पुनर्गणना के आवेदन पत्र के अंकसूची की छायाप्रति या इंटरनेट की कापी जमा करना अनिवार्य है।
3. पुनर्गणना उपरांत अंको में कमी/वृद्धि मान्य किया जावेगा।
4. पुनर्गणना के आवेदन पत्र मण्डल मुख्यालय रायपुर, एवं जिला मुख्यालय के समन्वय संस्था में निःशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे।
5. भरे हुए आवेदन पत्र मण्डल मुख्यालय रायपुर एवं जिला मुख्यालय के समन्वय संस्था में निर्धारित शुल्क के साथ जमा कर सकते हैं।
6. पुनर्गणना के परिणाम संबंधित छात्र को पंजीकृत डाक द्वारा छात्र के द्वारा निर्दिष्ट निवास के पते पर प्रेषित किया जायेगा।
7. निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
8. अपूर्ण या बिना शुल्क अथवा अपूर्ण जानकारी के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. यदि आपको पूरक की पात्रता है तो पूरक का आवेदन पत्र सर्वप्रथम भर कर निर्देशानुसार जमा करें। पूरक का आवेदन पत्र भरने हेतु (अंको के सत्यापन) पुनर्गणना के परिणाम का इंतजार न किया जाय।
11. पुनर्गणना सभी विषयों में कराया जा सकेगा।

सचिव
छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

उत्तरपुस्तिका छायाप्रति हेतु आवेदन पत्र

(Application form for the Answer sheet/sheets)

(Under Board's Regulation 119,148)

हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2012

1. नाम
2. अनुक्रमांक(Roll No)
3. परीक्षा का नाम
4. मुख्य/पूरक.....
5. परीक्षा वर्ष
6. केन्द्र कमांक.....
7. केन्द्र का नाम नाम.....
8. संस्था का नाम

मैं मण्डल के स्थापित नियमों के तहत अपने कुलनिम्नांकित विषय/विषयों की उत्तरपुस्तिका/उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति का अवलोकन करना चाहता/चाहती हूँ।

स.क्रं.	विषय	प्राप्तांक
01		
02		
03		
04		
05		
06		

उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्ति हेतु आवश्यक शुल्क जमा कर रहा/रही हूँ।

उ0पु0 की छायाप्रति अवलोकन हेतु शुल्क सहित
आवेदन पत्र की राशि

उत्तरपुस्तिका के विषयों की संख्या:.....

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रति विषय रू. 500 की दर से 500X----= -----रू.

नाम

कुल राशि

पिता/पालक का नाम

बैंक ड्राफ्ट कमांक

ग्राम/नगर

बैंक का नाम

पो0आ0.....तहसील.....

.....

जिलाछ0ग0

पिन कोड नं.....

(कृपया आवश्यक निर्देश हेतु पृष्ठ भाग का अवलोकन करें।)

उत्तरपुस्तिका छायाप्रति अवलोकन हेतु निर्धारित प्रक्रिया

1. अभ्यर्थी परीक्षाफल घोषित होने के 30 दिवस के अंदर उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति के लिये आवेदन कर सकते हैं।
2. उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति हेतु निर्धारित शुल्क प्राप्त होने पर उ0पु0 की छायाप्रति छात्र के पते पर प्रेषित की जावेगी एवं उ0पु0 मिलने के 15 दिवस के अंदर पुर्नमूल्यांकन हेतु प्रति विषय 500/—रु. के साथ आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
3. उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति हेतु प्रति विषय शुल्क रू0 500/— (पांच सौ) निर्धारित है।
4. आवेदक अपना आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर, एवं जिले के समन्वय संस्था में निर्धारित शुल्क के साथ जमा करेंगे।

सचिव
छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर